संख्या–2120 / 14–2–2016–800(62) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 30 सितम्बर, 2016**

विषयः– जनपद आगरा फतेहाबाद मार्ग (एस0एच0–62) किमी0 23 व 24 के मध्य चैनेज 23.280 की दांयी पटरी पर ग्राम मेवली कलां के खसरा संख्या–1187, 1188 व1191 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0748 हे0 (संशोधित 0.0750 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 39 / 2016 / एफसी / 93, दिनांक 18–5–2016 ,का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद आगरा फतेहाबाद मार्ग (एस0एच0–62) किमी0 23 व 24 के मध्य चैनेज 23.280 की दांयी पटरी पर ग्राम मेवली कलां के खसरा संख्या–1187, 1188 व1191 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07480हे0 (संशोधित 0.0750 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में कुल 18 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–547आगरा / 13921 / यूपी / 183 / 2015, दिनांक 12–9–2016 के माध्यम से निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सी0डी0 सहित शासन को उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बंध में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 12–9–2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–2120(1) / 14–2–2016–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।